इस विषय पर गहन चर्चा देखने के लिए नीचे दिए गए यूट्यूब लिंक पर क्लिक करें:
https://www.youtube.com/@PatrioticIAS

यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी पर नियमित अपडेट के लिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें: https://t.me/patrioticIAS

2024_10_23 दैनिक समसामयिकी

कवर किए गए विषय

1. दक्षिण भारत में कूदने वाली मकड़ियों की नई प्रजाति ' तेनकाना ' की खोज की (GS PAPER-III: पर्यावरण)
2. मदरसों में धार्मिक शिक्षा को 'खत्म' नहीं किया जा सकता: सीजेआई (GS PAPER-II: राजनीति)
3. भारत और सिंगापुर सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों के संयुक्त विकास और उत्पादन की संभावनाएं तलाशेंगे
4. भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी उन्नत हथियारों के साथ लांच की गई (GS PAPER-III: आंतरिक सुरक्षा)
5. विजया रहाटकर ने नौवीं एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला
6. मुस्लिम पुरुष एक से अधिक विवाह पंजीकृत कर सकते हैं: हाईकोर्ट
7. भूरे बौने: भावी तारे (GS PAPER-III: मूल विज्ञान)
8. विश्व को ऐसे ब्लू हेलमेट की आवश्यकता है जो ब्लू हेलमेट की तरह कार्य करें (GS PAPER-II: आईआर)
9. बस्तर में सार्थक 'पीड़ित रजिस्टर' की दिशा में कार्य करना (GS PAPER-III: आंतरिक सुरक्षा)
10. नौकरी का संकट राज्य की वैधता को कमजोर करता है (निबंध)

PATRIOTIC IAS

11. नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए पर (GS PAPER-I: नागरिकता)

12. गूगल जैसी बड़ी टेक कम्पनियां परमाणु ऊर्जा की खोज क्यों कर रही हैं? (GS PAPER-III: एसएंडटी)

# Three scientists discover new genus of jumping spiders '*Tenkana*' in South India

GS Paper III: Environment

A team of arachnologists has discovered a new genus of jumping spiders, '*Tenkana*', found across southern India, encompassing two previously known species. It also introduced a new species, *Tenkana jayamangali*, from Karnataka.

The name Tenkana comes from the Kannada word for south, reflecting that all the known species are from southern India and northern Sri Lanka. This new group belongs to the *Plexippina* subtribe of jumping spiders and is different from related groups such as *Hyllus* and *Telamonia*. The research team included scientists from various institutions in India and Canada, and their findings were published in the journal *Zookeys*. They used both genetic studies and physical examinations to support their work.

The newly identified *Tenkana jayamangali* has been named after the Jayamangali river in Karnataka. SPECIAL ARRANGEMENT

Unlike related species that live in forests, Tenkana spiders prefer drier areas and ground habitats. They have been found in Tamil Nadu, Puducherry, Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh.

Kiran Marathe and Wayne Maddison from the University of British Columbia, Canada, and John Caleb T.D. from Saveetha Institute in Chennai established this new genus. The genetic analysis was done with Krushnamegh Kunte from the National Centre for Biological Sciences in Bengaluru.

Two species that were previously in *Colopsus* – *Tenkana manu* (found in south India and Sri Lanka) and *Tenkana arkavathi* (from Karnataka) – have now been moved to the new genus. Interestingly, the former was named after a retired professor, Dr. Manu Thomas, in 2014.

The team also described *Tenkana jayamangali* for the first time, named after the Jayamangali river in Karnataka, where it was first seen.

## दक्षिण भारत में कूदने वाली मकड़ियों की नई प्रजाति ' तेनकाना ' की खोज की (23 अक्टूबर)

- अरक्नोलोजिस्ट (मृगविज्ञानियों) के एक दल ने कूदने वाली मकड़ियों की एक नई प्रजाति ' टेनकाना ' की खोज की है।
- तेनकाना पूरे दक्षिणी भारत में पाया जाता है और इसमें पहले से ज्ञात दो प्रजातियां शामिल हैं।
- एक नई प्रजाति, तेनकाना जयमंगली को कर्नाटक से लाया गया था।
- तेनकना नाम कन्नड़ शब्द 'दक्षिण' से निकला है, जो इसके भौगोलिक वितरण को दर्शाता है।
- सभी ज्ञात प्रजातियाँ दक्षिणी भारत और उत्तरी श्रीलंका से हैं।
- तेनकाना कूदने वाली मकड़ियों की प्लेक्सिपिना उप-जनजाति से संबंधित है ।
- टेलामोनिया जैसे संबंधित समूहों से अलग है ।
- अनुसंधान दल में भारत और कनाडा के विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल थे।
- ज़ूकीज़ पत्रिका में प्रकाशित किये गये ।
- टीम ने अपने कार्य के समर्थन के लिए आनुवंशिक अध्ययन और शारीरिक परीक्षण का उपयोग किया।
- तेनकाना मकड़ियाँ, जंगलों में रहने वाली अन्य प्रजातियों के विपरीत, शुष्क क्षेत्रों और स्थलीय आवासों को पसंद करती हैं।
- ये तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं।
- कनाडा के ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालय के किरण मराठे और वेन मैडिसन, तथा चेन्नई के सविता संस्थान के जॉन कैलेब टी.डी. ने नए वंश की स्थापना की।
- बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र के कृष्णमेघ कुंटे के साथ आनुवंशिक विश्लेषण किया गया ।

PATRIOTIC IAS

# Religious instruction in madrasas cannot be 'wished away': CJI

GS Paper II: Polity

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court on Tuesday said India's centuries-old history of religious instruction could not be wished away by ghettoising madrasa education.

"Religious instruction is not something which is unique to Muslims. There is religious instruction among Christians, Jews, Hindus, Sikhs. It is a country which is a melting pot of cultures, civilisations, religions... Let us preserve it that way. In fact, the answer to ghettoisation is to mainstream... To allow people to come together. Otherwise, we will be putting people in silos. To be shunted and forgotten," Chief Justice of India D.Y. Chandrachud observed.

The Chief Justice's oral observations were made while hearing a challenge to a decision of the Allahabad High Court striking down the Uttar Pradesh Madrasa Education Board Act, 2004. The Act regulated madrasa education. The High Court had found the law unconstitutional for validating a system of education which was grossly in violation of the principles of secularism.

But the top court observed that religious instruction, historically and culturally, had never been anathema in India. Article 23 of the Constitution recognised religious instruction.

There was nothing wrong in a State regulating an institution run by a religious or linguistic minority in the interest of maintaining the excellence of education, the Bench also comprising Justices J.B. Pardiwala and Manoj Misra said.

**'Lopsided education'**

Senior advocate Guru Krishnakumar argued in support of the High Court decision, saying there was no specific provision in the 2004 Act on secular education. Senior advocate Madhavi Divan, also supporting the High Court decision, submitted that madrasa education's singular focus or overwhelming emphasis was on religious instruction at the cost of mainstream education. She said such lopsided education hardly equipped students to compete in the mainstream.

She differentiated madrasa students from children who take monastic vows in other faiths like Buddhism or Jainism. The latter embraced renunciation in answer to a calling while the thousands of students of madrasas wanted very much to be part of the real world.

- कोलोपसस में पहले से मौजूद दो प्रजातियां - तेनकाना मनु (दक्षिण भारत और श्रीलंका में पाया जाता है) और तेनकाना अर्कावती (कर्नाटक से) - को नए वंश में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- तेनकाना मनु का नाम 2014 में सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. मनु थॉमस के नाम पर रखा गया था।
- तेनकाना जयमंगली का नाम कर्नाटक की जयमंगली नदी के नाम पर रखा गया है , जहां इसे पहली बार देखा गया था।

# मदरसों में धार्मिक शिक्षा को 'खत्म' नहीं किया जा सकता: सीजेआई (23 अक्टूबर)

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मदरसा शिक्षा को अलग करके भारत के धार्मिक शिक्षा के सदियों पुराने इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
- मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक शिक्षा केवल मुसलमानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह ईसाइयों, यहूदियों, हिंदुओं और सिखों में भी मौजूद है।
- उन्होंने भारत को संस्कृतियों और धर्मों का मिश्रण बताया तथा इस विविधता को संरक्षित रखने की वकालत की।
- घेटोकरण का समाधान शिक्षा को मुख्यधारा में लाना तथा लोगों को अलग-थलग

करने के बजाय उन्हें एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित करना है।

- यह टिप्पणी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को रद्द कर दिया गया था।
- 2004 का अधिनियम मदरसा शिक्षा को विनियमित करता था, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के कारण उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार दिया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत में धार्मिक शिक्षा को ऐतिहासिक रूप से स्वीकार किया गया है तथा संविधान का अनुच्छेद 23 इसे मान्यता देता है।
- अदालत ने कहा कि शैक्षिक मानकों को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों को विनियमित करने में कुछ भी गलत नहीं है।
- वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु कृष्णकुमार ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि 2004 के अधिनियम में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए प्रावधान नहीं थे।
- वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने भी उच्च न्यायालय का समर्थन करते हुए दावा किया कि मदरसा शिक्षा मुख्यधारा की शिक्षा की तुलना में धार्मिक शिक्षा पर अधिक जोर देती है।
- उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक शिक्षा पर इस तरह का ध्यान छात्रों को मुख्यधारा में प्रतिस्पर्धा के लिए अपर्याप्त रूप से तैयार करता है।
- दीवान ने मदरसा छात्रों को अन्य धर्मों, जैसे बौद्ध धर्म या जैन धर्म के बच्चों से अलग बताया, जो त्याग को अपना आह्वान मानते हैं। उन्होंने कहा कि मदरसा छात्र वास्तविक दुनिया से जुड़ने का प्रयास करते हैं।

PATRIOTIC IAS

# India and Singapore to explore joint development, production of equipment for armed forces

GS Paper II: India-Singapore

Defence Minister Rajnath Singh and Singaporean counterpart Ng Eng Hen at a meeting in New Delhi on Tuesday. ANI

India and Singapore on Tuesday agreed to extend the existing bilateral agreement on 'Joint Military Training-Army' for the next five years and also look at co-development and co-production of defence equipment. This was decided during the sixth India-Singapore Defence Ministerial Dialogue in New Delhi, co-chaired by Defence Minister Rajnath Singh and visiting Singaporean counterpart Ng Eng Hen.

"Recognising that both nations are natural partners for commencing co-development and co-production of defence equipment, both sides agreed to enhance industry cooperation, including exploring collaboration in niche domains such as automation and Artificial Intelligence. The two Ministers also decided to take forward the cooperation in emerging areas like cyber security," the Ministry said. Both Ministers acknowledged the deep and long-standing bilateral defence relations based on shared outlook on regional peace, stability and security, it stated.

This meeting assumes significance against the backdrop of India marking a decade of its Act East policy, in which Singapore has played a key role in promoting economic cooperation and cultural ties, and developing strategic connectivity with countries in the region, it said.

The two countries elevated their bilateral relationship to Comprehensive Strategic Partnership recently during the visit of Prime Minister Narendra Modi to the city-state.

# भारत और सिंगापुर सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों के संयुक्त विकास एवं उत्पादन की संभावनाएं तलाशेंगे (23 अक्टूबर)

- भारत और सिंगापुर ने 'संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण-सेना' पर मौजूदा द्विपक्षीय समझौते को पांच वर्ष के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
- इस समझौते में रक्षा उपकरणों का सह-विकास और सह-उत्पादन शामिल है।
- नई दिल्ली में छठी भारत-सिंगापुर रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान लिया गया।
- इस वार्ता की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री एनजी इंग हेन ने की।
- दोनों देशों ने उद्योग सहयोग बढ़ाने के लिए स्वयं को स्वाभाविक साझेदार माना।
- वे स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशने की योजना बना रहे हैं।
- मंत्रियों ने साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की।
- यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति का एक दशक पूरा कर रहा है, जिसमें सिंगापुर की प्रमुख भूमिका है।
- एक्ट ईस्ट नीति क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों और रणनीतिक संपर्क को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया।

PATRIOTIC IAS

Ship, Submersible, Ballistic, Nuclear

# India's fourth nuclear submarine launched with advanced arms

GS Paper III: Internal Security

**Dinakar Peri**
NEW DELHI

India's fourth nuclear-powered ballistic missile submarine (SSBN), referred to as S4*, was launched into water at the Ship Building Centre in Visakhapatnam last week, official sources confirmed. This submarine is bigger and more capable than the first, *INS Arihant* (S2).

The S4* was launched into water on October 16 at SBC, multiple sources confirmed. It has significant indigenous content, with Indian industry being extensively involved, according to a source.

India currently has two SSBNs operational. *INS Arihant* was quietly commissioned into service in August 2016. The second SSBN, *INS Arighaat* (S3), was commissioned end-August. The third SSBN Aridhman (S4) is currently undergoing sea trials and is expected to be commissioned into service next year, sources said.

Responding to questions on the launch at a press conference on Tuesday, Vice Chief of the Navy Vice Adm Krishna Swaminathan, without directly commenting, said, "The SSBN programme is a successful one. Two submarines have been commissioned, and it is natural that others will follow."

*INS Arihant* is presently armed with 750 km range K-15 SLBM. The S4* carries the advanced 3,500 km range SLBM K-4, that was tested for the first time in 2020. The K-4 will be the mainstay of India's undersea nuclear deterrence as it provides standoff capability, to launch nuclear weapons while submerged in Indian waters, till a 5,000 km range SLBM is developed and fielded.

# भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी उन्नत हथियारों के साथ लांच की गई (23 अक्टूबर)

- भारत ने विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (एसएसबीएन), जिसे एस4* कहा गया है, का जलावतरण किया।
- आधिकारिक सूत्रों द्वारा पुष्टि की गई है कि प्रक्षेपण 16 अक्टूबर को हुआ।
- एस4* प्रथम एसएसबीएन, आईएनएस अरिहंत (एस2) से बड़ा और अधिक सक्षम है।
- इस पनडुब्बी में महत्वपूर्ण स्वदेशी सामग्री है, तथा इसमें भारतीय उद्योग की व्यापक भागीदारी है।
- भारत में वर्तमान में दो एसएसबीएन कार्यरत हैं: आईएनएस अरिहंत, जिसे अगस्त 2016 में कमीशन किया गया था, और आईएनएस अरिघाट (एस3), जिसे अगस्त के अंत में कमीशन किया गया था।
- तीसरा एसएसबीएन, अरिदमन (एस4), समुद्री परीक्षणों से गुजर रहा है और अगले वर्ष इसके चालू होने की उम्मीद है।
- नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि एसएसबीएन कार्यक्रम सफल रहा है, दो पनडुब्बियां शामिल की जा चुकी हैं तथा और भी शामिल की जाएंगी।
- आईएनएस अरिहंत के-15 एसएलबीएम से लैस है, जिसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है।
- एस4* उन्नत के-4 एसएलबीएम से लैस है, जिसकी रेंज 3,500 किमी है और इसका पहली बार परीक्षण 2020 में किया गया था।

GS Paper II: Statutory Bodies

## Vijaya Rahatkar takes charge as ninth NCW Chairperson

The newly appointed Chairperson of the National Commission for Women, Vijaya Rahatkar, took charge on Tuesday. She is the ninth Chairperson of the NCW and succeeds Rekha Sharma. Ms. Rahatkar, a senior BJP functionary, is a former Chairperson of the Maharashtra State Commission for Women and a national president of the BJP Mahila Morcha. Addressing the media after taking charge, Ms. Rahatkar said that while not all efforts of the NCW were visible, it would keep working on gender rights. Ms. Rahatkar, who met Prime Minister Narendra Modi on Monday, emphasised her commitment to advancing women's rights and ensuring justice for victims of gender-based violence.

- के-4 एसएलबीएम भारत की समुद्र के अंदर परमाणु प्रतिरोध क्षमता का केन्द्र बिन्दु होगा, जिससे 5,000 किलोमीटर रेंज वाली एसएलबीएम विकसित होने तक पानी के अंदर से परमाणु हथियारों का प्रक्षेपण संभव हो सकेगा।

# विजया रहाटकर ने नौवीं राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला (23 अक्टूबर)

- विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने मंगलवार को कार्यभार संभाल लिया।
- वह राष्ट्रीय महिला आयोग की नौवीं अध्यक्ष हैं, उन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है।
- सुश्री रहाटकर भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्ता और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं।
- उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।
- अपने मीडिया संबोधन में सुश्री रहाटकर ने कहा कि एनसीडब्ल्यू के सभी प्रयास दिखाई नहीं देते, लेकिन आयोग लैंगिक अधिकारों पर काम करना जारी रखेगा।
- उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और महिला अधिकारों को आगे बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
- सुश्री राहतकर ने लिंग आधारित हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया।

**राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)**

**पृष्ठभूमि:**

- राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की स्थापना **जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के** तहत एक **वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी** ।
- इसका गठन विभिन्न समितियों की सिफारिशों के बाद किया गया था, जैसे कि **1974** में **भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति (सीएसडब्ल्यूआई)** , और **महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1988-**

PATRIOTIC IAS

**2000)** , जिसने भारत में महिलाओं के हितों को बढ़ावा देने, सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक केंद्रीय निकाय की आवश्यकता पर बल दिया था।

**उद्देश्य:** राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य है:

1. महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करें।
2. निवारण के लिए विधायी उपायों की सिफारिश करना।
3. शिकायत निवारण को सुगम बनाना।
4. महिलाओं को प्रभावित करने वाली नीतियों पर सरकार को सलाह देना।

**नोडल मंत्रालय**

- **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** राष्ट्रीय महिला आयोग की गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।

## 1. इतिहास

- **भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति (1974) ने** राष्ट्रीय महिला आयोग की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- समिति ने महिलाओं के मुद्दों की निगरानी करने, शिकायतों का समाधान करने तथा उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय निकाय की स्थापना की सिफारिश की।
- बाद की समितियों की कई सिफारिशों ने एनसीडब्ल्यू के निर्माण को आगे बढ़ाया, जैसे कि **महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1988-2000)** ।
- **1992** में अंततः महिलाओं के हितों की रक्षा, संवर्धन और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया।

## 2. संरचना और कार्यकाल

एनसीडब्ल्यू एक **बहुसदस्यीय निकाय है** जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **अध्यक्ष** : **केन्द्र सरकार द्वारा नामित** अध्यक्ष महिला कल्याण के प्रति समर्पित होना चाहिए।
- **पांच सदस्य** : कानून, शिक्षा, ट्रेड यूनियन, सामाजिक कार्य आदि क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नामित किया गया।
- **सदस्य-सचिव** : एक सिविल सेवा अधिकारी या संगठनात्मक प्रबंधन में विशेषज्ञ।
- कम से कम **एक सदस्य अनुसूचित जाति से** और दूसरा **अनुसूचित जनजाति से** होना चाहिए । अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल **तीन वर्ष का होता है** , लेकिन वे दिवालियापन, मानसिक अस्वस्थता या अन्य कदाचार की स्थिति में इस्तीफा दे सकते हैं या हटाए जा सकते हैं।

## 3. आयोग के कार्य

1. महिलाओं के लिए **संविधान और अन्य कानूनों** के तहत प्रदत्त सुरक्षा उपायों की जांच और परीक्षण करना ।
2. इन सुरक्षा उपायों के कार्यकरण पर **वार्षिक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को** प्रस्तुत करना ।

PATRIOTIC IAS

3. मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना तथा अपर्याप्तताओं या खामियों को दूर करने के लिए जहां आवश्यक हो, **संशोधन की सिफारिश करना।**
4. **महिलाओं के अधिकारों से वंचित करने** की शिकायतों और अन्य मुद्दों का स्वप्रेरित कार्रवाई या प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से **समाधान करना** ।
5. महिला कल्याण और लैंगिक समानता से संबंधित अध्ययन, जांच और अनुसंधान करना।
6. सामाजिक-आर्थिक विकास योजना प्रक्रियाओं में भाग लेना और देश में महिलाओं की **प्रगति का मूल्यांकन करना।**
7. जेलों, सुधार गृहों या महिलाओं से संबंधित किसी भी हिरासत स्थान का निरीक्षण करना।

## 4. आयोग की शक्तियां

राष्ट्रीय महिला आयोग के पास निम्नलिखित अर्ध-न्यायिक शक्तियां हैं:

- भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को बुलाना तथा उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना।
- सार्वजनिक अभिलेखों और दस्तावेजों की मांग करना।
- शपथपत्र प्राप्त करना और गवाह परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना।
- महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार जैसे मुद्दों पर विशेष अध्ययन का आह्वान करें।
- राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित कर सकता है तथा विशिष्ट मुद्दों के लिए समितियां गठित कर सकता है।

## महत्वपूर्ण आंकड़े और तथ्य:

- **अध्यक्ष** : वर्तमान अध्यक्ष (2024 तक) **रेखा शर्मा हैं** , जिन्हें 2022 में तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया जाएगा।
- **नोडल मंत्रालय** : **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
- **प्रमुख कानून** : **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990**
- **मुख्यालय** : नई दिल्ली

## हालिया अपडेट:

- एनसीडब्ल्यू ने महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए **डिजिटल शक्ति अभियान शुरू किया है** । इसमें महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं।
- 2023 में, एनसीडब्ल्यू ने घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और कार्यस्थल पर भेदभाव सहित महिलाओं के मुद्दों से संबंधित **30,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया।**
- राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लिंग आधारित हिंसा के मुद्दों सहित कई हाई-प्रोफाइल मामलों का **स्वतः संज्ञान लिया है ।**

PATRIOTIC IAS

# Muslim men can register more than one marriage: HC

GS Paper II: Personal Law

The Bombay High Court, in a recent order, ruled that a Muslim man can register more than one marriage under the Maharashtra Regulation of Marriage Bureaus and Registration of Marriages Act, 1998.

A Division Bench of Justice B.P. Colabawalla and Justice Somasekhar Sundareshan said the Muslim law permits multiple marriages. The case is related to a man who approached the deputy marriage registration office of the Thane Municipal Corporation in February 2023 to register his marriage with a woman from Algeria, but the application was rejected. This is the petitioner's third marriage.

The authorities refused to register the marriage on the grounds of unavailability of necessary documents. They further said that under the Act, the definition of marriage contemplates only a single marriage and not multiple unions.

The Bench observed, "As far as the argument that only one marriage can be registered under the provisions of the Maharashtra Regulation of Marriage Bureaus and Registration of Marriages Act, 1998 is concerned, we find that the same is wholly misconceived."

It ordered the authority concerned to conduct a hearing for the couple and pass a reasoned order within 10 days of the conclusion of hearing, either granting or denying the marriage registration. If denied, the matter will be referred to the Registrar General under the Act for further review.

# मुस्लिम पुरुष एक से अधिक विवाह पंजीकृत कर सकते हैं: हाईकोर्ट (23 अक्टूबर)

- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक मुस्लिम व्यक्ति महाराष्ट्र विवाह ब्यूरो विनियमन और विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1998 के तहत एक से अधिक विवाह पंजीकृत कर सकता है।
- कोलाबावाला और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन की खंडपीठ ने कहा कि मुस्लिम कानून एक से अधिक विवाह की अनुमति देता है।
- यह मामला एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित था जिसने फरवरी 2023 में अल्जीरिया की एक महिला के साथ अपने विवाह का पंजीकरण कराना चाहा था, लेकिन उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया।
- याचिकाकर्ता की यह तीसरी शादी थी।
- प्राधिकारियों ने आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए विवाह पंजीकरण को अस्वीकार कर दिया तथा तर्क दिया कि अधिनियम में विवाह को एकल मिलन के रूप में परिभाषित किया गया है।
- पीठ ने पाया कि यह तर्क गलत है कि अधिनियम के तहत केवल एक ही विवाह पंजीकृत किया जा सकता है।
- अदालत ने संबंधित प्राधिकारी को दम्पति की ओर से सुनवाई करने तथा सुनवाई समाप्त होने के 10 दिनों के भीतर तर्कपूर्ण आदेश जारी करने का आदेश दिया।
- यदि विवाह पंजीकरण अस्वीकार कर दिया जाता है, तो मामले को आगे की समीक्षा के लिए रजिस्ट्रार जनरल को भेजा जाएगा।

# Brown dwarfs: wannabe stars

GS Paper III: Basic Science

**Q.What is a brown dwarf?**

**A:** In 1995, astronomers confirmed the discovery for the first time of a brown dwarf, a body too small to be a star and too big to be a planet. They could be considered wannabe stars that, during their formative stages did not reach the mass necessary to ignite nuclear fusion at their core like a star. But they are more massive than the biggest planets.

"They are formally defined as objects that can burn a heavy form of hydrogen, called deuterium, but not the most common basic form of hydrogen," said Sam Whitebook, a graduate student in Caltech's division of physics, mathematics, and astronomy. Recently, researchers took a closer look at the first brown dwarf discovered and found that it's actually two brown dwarfs orbiting astonishingly close to each other while also circling a small star. The research papers were published in the *Astrophysical Journal Letters*.

These two brown dwarfs are gravitationally locked to each other in what is called a binary system, an arrangement commonly observed among stars but quite rare among brown dwarfs. So the brown dwarf that three decades ago was named Gliese 229B is now recognised as Gliese 229Ba, with a mass 38 times greater than Jupiter, and Gliese 229Bb, with a mass 34 times greater than Jupiter.

They are located 19 light-years from our solar system, rather close in cosmic terms, in the constellation Lepus. - Reuters

An artist's concept of a brown dwarf. NASA/JPL-CALTECH

**For feedback and suggestions**
for 'Science', please write to
**science@thehindu.co.in**
with the subject 'Daily page'

# भूरे बौने: भावी तारे (23 अक्टूबर)

- भूरा वामन एक खगोलीय पिंड है जो तारा कहलाने के लिए बहुत छोटा है तथा ग्रह कहलाने के लिए बहुत बड़ा है।
- उन्हें "वांछित तारे" माना जा सकता है जो अपने केन्द्र में नाभिकीय संलयन को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक द्रव्यमान तक नहीं पहुंच सके।
- भूरे बौने ग्रह सबसे बड़े ग्रहों से भी अधिक विशाल होते हैं।
- उन्हें ऐसी वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो ड्यूटेरियम (हाइड्रोजन का एक भारी रूप) को जला सकती हैं, लेकिन हाइड्रोजन के अधिक सामान्य रूप को नहीं।
- हालिया शोध 1995 में खोजे गए पहले भूरे बौने तारे पर केंद्रित था, जो वास्तव में दो भूरे बौने तारे हैं जो एक दूसरे के निकट परिक्रमा करते हैं तथा एक छोटे तारे की परिक्रमा करते हैं।
- यह द्विआधारी प्रणाली भूरे बौनों में दुर्लभ है, लेकिन तारों में सामान्यतः देखी जाती है।
- ग्लीज़ 229बी नामक मूल भूरे रंग के बौने को अब ग्लीज़ 229बीए (बृहस्पति के द्रव्यमान का 38 गुना) और ग्लीज़ 229बीबी (बृहस्पति के द्रव्यमान का 34 गुना) के रूप में पहचाना जाता है।

- ये भूरे रंग के बौने हमारे सौरमंडल से 19 प्रकाश वर्ष दूर लेपस तारामंडल में स्थित हैं।

## एक प्रकार का मानसिक विकार

- सिज़ोफ्रेनिया एक दीर्घकालिक मानसिक विकार है, जो विचार प्रक्रिया, धारणा, भावनात्मक प्रतिक्रिया और सामाजिक अंतःक्रिया में व्यवधान के कारण होता है।
- इसमें प्रायः मतिभ्रम, भ्रम, अव्यवस्थित भाषण और दैनिक कामकाज में महत्वपूर्ण हानि होती है।
- इसकी शुरुआत आमतौर पर किशोरावस्था के अंत में या वयस्कता के आरंभ में होती है।

### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- "सिज़ोफ्रेनिया" शब्द का प्रयोग पहली बार स्विस मनोचिकित्सक यूजेन ब्लेउलर ने 1908 में किया था।
- उन्होंने इसे ग्रीक शब्दों " स्किज़ो " (विभाजन) और " फ्रेन " (मन) से लिया है, जो विकार से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जाने वाली खंडित सोच को दर्शाता है।

### महामारी विज्ञान

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 24 मिलियन लोग सिज़ोफ्रेनिया से प्रभावित हैं, जो वैश्विक आबादी का लगभग 0.32% है।
- भारत में, NIMHANS (राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2016) में अनुमान लगाया गया था कि लगभग 0.4% आबादी में सिज़ोफ्रेनिया का प्रचलन है, जिससे लगभग 4.6 मिलियन लोग प्रभावित हैं।

### लक्षण

सिज़ोफ्रेनिया को लक्षणों के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:

1. **सकारात्मक लक्षण** : मतिभ्रम, भ्रम और अव्यवस्थित सोच।
2. **नकारात्मक लक्षण** : भावना की कमी, सामाजिक अलगाव, तथा कार्य करने की क्षमता में कमी।
3. **संज्ञानात्मक लक्षण** : ध्यान, स्मृति और कार्यकारी कार्यप्रणाली में कमी।

### कारण और जोखिम कारक

यद्यपि सिज़ोफ्रेनिया का सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आनुवंशिक, पर्यावरणीय और जैव रासायनिक कारकों का संयोजन इसके विकास में योगदान देता है।

- **आनुवंशिक कारक** : सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित किसी करीबी रिश्तेदार के होने से इस विकार के विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है। *इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के शोध से* पता चलता है कि अगर किसी प्रथम श्रेणी के रिश्तेदार को यह विकार है तो सिज़ोफ्रेनिया का जोखिम 10% है।
- **पर्यावरणीय कारक** : संक्रमण के प्रति जन्मपूर्व जोखिम, गर्भावस्था के दौरान कुपोषण और प्रारंभिक जीवन के तनाव से सिज़ोफ्रेनिया का जोखिम बढ़ सकता है। *NIMHANS के हालिया अध्ययनों* ने भी शहरी परवरिश और उच्च जोखिम के बीच संबंध का संकेत दिया है।

PATRIOTIC IAS

- **न्यूरोकेमिकल असंतुलन** : डोपामाइन और ग्लूटामेट असंतुलन सिज़ोफ्रेनिया से जुड़े हैं। मस्तिष्क इमेजिंग अध्ययनों से सिज़ोफ्रेनिया के रोगियों में न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम में असामान्यताएं दिखाई देती हैं।

**निदान**

*मानसिक विकारों के नैदानिक और सांख्यिकीय मैनुअल (DSM-5)* के मानदंडों का उपयोग किया जाता है। अन्य स्थितियों को खारिज करने के लिए मस्तिष्क इमेजिंग और रक्त परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है।

**इलाज**

- **औषधीय उपचार** : एंटीसाइकोटिक दवाएँ, जैसे कि रिसपेरीडोन और ओलानज़ापाइन, उपचार की पहली पंक्ति हैं। क्लोज़ापाइन को उपचार-प्रतिरोधी सिज़ोफ्रेनिया के मामलों में निर्धारित किया जाता है। भारत में *राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी)* ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं की पहुँच सुनिश्चित करता है।
- **मनोचिकित्सा** : संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी) और पारिवारिक चिकित्सा का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। पुनर्वास कार्यक्रम सामाजिक कौशल विकास और समाज में पुनः एकीकरण में मदद करते हैं।
- **समुदाय-आधारित समर्थन** : भारत में, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य पहल *जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के तहत चलाई जाती है*, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करना, कलंक को कम करना और प्रारंभिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देना है।

**सरकारी पहल और कानूनी ढांचा**

1. **मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017** : यह अधिनियम सभी नागरिकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवा और उपचार तक पहुँच की गारंटी देता है। यह आत्महत्या को अपराध से मुक्त करता है और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले रोगियों को सम्मान का अधिकार प्रदान करता है।
2. **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, 2014** : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह नीति सिज़ोफ्रेनिया सहित मानसिक विकारों के बारे में जागरूकता, शीघ्र निदान और उपचार पर जोर देती है।
3. **टेली-मानस (राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग)** : 2022 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह पहल टेलीमेडिसिन के माध्यम से मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में सिज़ोफ्रेनिया रोगियों के लिए पहुंच सुनिश्चित होती है।

PATRIOTIC IAS

# The world needs blue helmets who act as blue helmets

GS Paper II: International Relations

"Thou shalt not be a victim, thou shalt not be a perpetrator, but, above all, thou shalt not be a bystander." In suggesting this, Yehuda Bauer, Holocaust historian, rested his case wherein the 'bystander' was brought centre-stage and held accountable alongside the perpetrator for crimes against humanity. The 'bystander' implies the collective conscience of the world which must work as the weapon of the powerless. So, while the United Nations through Chapter VI of its Charter is committed to the peaceful settlement of disputes, Chapter VII of the same Charter prescribes the use of armed force with the authorisation of the Security Council in cases of aggression and breaches of peace threatening international security. Chapter VII further exhorts member-states to make available such military or police forces as may be required to establish peace. In fact Chapter VIII goes further and prescribes robust 'regional arrangement' in enforcing peace upon authorisation by the Security Council.

**Hits and misses**

Thus, one would be led to an erroneous belief that the UN has everything in place – in its strongly worded Charter and over 1,00,000 peacekeepers on the ground – to eliminate wars and exploitation from the world. UN political diplomacy and peace operations have established peace in many theatres in seven decades of peacekeeping such as in Cambodia, Mozambique, Sierra Leone, Angola, Timor Leste, Liberia and Kosovo, to name a few notably successful UN engagements.

Yet, there have been glaring instances, such as in Rwanda (1994) and Bosnia (1995) where the UN was accused of being a bystander, unwilling or unable to protect non-combatants and vulnerable sections, especially women and children. That in subsequent missions, notably Sierra Leone (UNSMIL), Timor Leste (UNMIT), Darfur (UNAMID), South Sudan ((UNMISS) and the Democratic Republic of Congo (MONUSCO), the UN brought the protection of civilians centrestage, thus restoring substantially, if not wholly, its commitment to its core values, is a tribute to its willingness to use institutional memory in improving peacekeeping to give primacy to protection of civilians.

Today the world is again on the brink of a much bigger war in Europe and West Asia precisely because, over the last three years, the UN has frittered away the dividends of its 'enforceable peacekeeping' between 2006 and 2020. It has been reduced to a 'Bystander' status again in the ongoing conflict in West Asia and the war in Ukraine.

**Hermanprit Singh**

a retired Indian Police Service officer with experience in United Nations peace operations as Acting Police Commissioner and Principal Officer in Timor Leste and in the Office of Operations at the UN headquarters

By being reduced to 'bystander' status in the ongoing and serious conflicts in the world, the United Nations is frittering away the dividends of its 'enforceable peacekeeping'

Since the Russian invasion of Ukraine and the Hamas-led massacre of non-combatants in Israel, followed by an even larger offensive of Israel on hapless civilians in Gaza, the UN response in both theatres has failed to call out the perpetrator in no uncertain terms and take decisive action in protecting civilian lives. This has happened despite it having a 1,00,000-strong UN military and police forces at its disposal, as battle ready infantry battalions and as 'standing capacity" at its logistics hub in Brindisi, Italy, that could have been deployed in robust numbers to contain a further loss of life and destruction of cities. There is little point in having such strong forces and yet be a bystander as both conflicts have widened, with the world continuing to witness unprecedented destruction. Even though 1,00,000 UN uniformed forces are deployed in many missions in Africa and elsewhere, it would have done no grave damage to the current missions were over half of them re-deployed in Ukraine, Gaza and West Bank, right between the warring forces, just as they continue to be in Cyprus between the Turks and Greeks or were deployed in Timor Leste, between Indonesian forces and the Timor Leste freedom fighters, the FRETLIN.

**A lost chance to act with decision**

Extraordinary situations demand extraordinary interventions. The fact that contributing member-countries have committed these forces to not just maintain but also to enforce peace implies their consent to protect civilians regardless of the 'theatre'. Otherwise, these well-armed and well provisioned troops are just biding their time till their rotation and pocketing the green bucks as a tribute. Blue helmets must act as blue helmets, impartially and decisively, as in Kosovo (UNMIK 1999-2008) and Timor Leste (UNTAET, UNMIT 1999-2008), with legitimacy to use reasonable force. It needed just over 6,000 UN uniformed personnel (typically, two infantry brigades) in Kosovo and 3,000 UN police personnel (including the lightly-armed formed police units) and an infantry brigade from Australia, under operational command of UN Mission (UNMIT) in Timor Leste to restore peace and bring back the rule of law and an elected government.

A deployment of similar numbers in a similar-sized geographical area of Israel-Gaza-West Bank would have contained the colossal loss of lives that has followed and is making this theatre a killing field with mounting civilian casualties.

**There is a need for UNSC reform**

This also brings us to the subject of much-needed reform in the functioning of the Security Council. The veto power of the P5, the Permanent Security Council members, instead of being a rock of stability for the UN peace operations to stand on, has more often than not acted as a mill-stone around their neck. The world has repeatedly witnessed the negative power of veto precisely at a time when 'enforcing peace' has become an urgent necessity in the face of threats to civilian lives. Nearly a million Tutsi civilians were killed in the now infamous Rwanda genocide of 1994-95 even as the French continued to support the Rwandan Army, the main perpetrators of the genocide, and UN Assistance Mission in Rwanda (UNAMIR) was a bystander.

The case for reform of the Security Council to obviate such genocides in future by swift deployment and having a decisive role for the blue helmets rests on a two-pronged approach. The first is for the expansion of Permanent membership of the Security Council to include India (by virtue of it being the most vibrant voice of the global South) and South Africa (for long overdue representation from Africa). The second is to bell the veto cat.

In an expanded Council of P7, rather than each member having veto power, contentious issues such as the use of force in West Asia to stop an expansionist Israel or in Ukraine to thwart the expansionist designs of Russia – which in the current scenario will be vetoed by the U.S. and Russia, respectively – should have a division of votes of a P7 to decide on UN intervention. Once such a division of votes is in favour of peace operations to thwart hostilities, the deployment of UN standing troops or shifting troops between 'missions' should be enabled under Chapters VII and VIII of the UN Charter, with full executive powers to the UN military and police commanders on the ground.

Ultimately, if the UN cannot stand on its own feet and enforce peace despite having standing uniformed forces of the size of a sovereign nation, then UN-led peace operations must close and the plush halls of the UN be used only for exalted deliberations by another international non-governmental organisation or a think-tank.

# दुनिया को ऐसे नीले हेलमेट की जरूरत है जो नीले हेलमेट की तरह काम करें (23 अक्टूबर)

- येहुदा बाउर ने मानवता के विरुद्ध अपराधों में 'दर्शकों' की जवाबदेही पर जोर दिया तथा शक्तिहीनों की रक्षा के लिए सामूहिक विवेक की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- संयुक्त राष्ट्र का अध्याय VI शांतिपूर्ण विवाद समाधान को बढ़ावा देता है, जबकि अध्याय VII आक्रामकता के मामलों में सुरक्षा परिषद द्वारा सशस्त्र बल के प्रयोग की अनुमति देता है।
- अध्याय VIII सुरक्षा परिषद की मंजूरी के साथ शांति लागू करने के लिए मजबूत क्षेत्रीय व्यवस्था की वकालत करता है।
- एक मजबूत चार्टर और 100,000 से अधिक शांति सैनिकों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व स्तर पर युद्धों या शोषण को समाप्त नहीं किया है।
- कंबोडिया, मोजाम्बिक और कोसोवो जैसे देशों में सफल शांति मिशन चलाए गए हैं।
- संयुक्त राष्ट्र को 1994 में रवांडा नरसंहार और 1995 में बोस्नियाई संघर्ष के दौरान निष्क्रियता के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जहां उसे मूकदर्शक के रूप में देखा गया।
- इसके बाद के मिशनों का ध्यान नागरिकों की सुरक्षा पर केन्द्रित रहा तथा संयुक्त राष्ट्र की मूल मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को बहाल किया गया।
- वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र को यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों, विशेषकर रूसी आक्रमण और गाजा में हिंसा के दौरान, एक मूकदर्शक के रूप में देखा जाता है।
- तैनाती के लिए सैन्य और पुलिस बल उपलब्ध होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया नागरिक जीवन की रक्षा करने में विफल रही है।
- लेख में अन्य मिशनों से संयुक्त राष्ट्र बलों को यूक्रेन और गाजा जैसे संघर्ष क्षेत्रों में पुनः तैनात करने की वकालत की गई है, ताकि और अधिक विनाश तथा नागरिक हताहतों को रोका जा सके।

## निर्णय लेकर कार्य करने का एक खोया अवसर

- असाधारण परिस्थितियों में असाधारण हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
- योगदान देने वाले सदस्य देशों ने, चाहे जो भी संदर्भ हो, शांति लागू करने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी सेनाएं तैनात की हैं।
- संयुक्त राष्ट्र सैनिकों को सिर्फ रोटेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि सक्रिय रूप से अपने शांति स्थापना जनादेश में शामिल होना चाहिए।
- ब्लू हेलमेट को निष्पक्ष और निर्णायक रूप से काम करना चाहिए, जैसा कि कोसोवो और तिमोर लेस्ते जैसे सफल मिशनों में देखा गया है ।
- इजराइल-गाजा-पश्चिमी तट क्षेत्र में इसी प्रकार की तैनाती से नागरिक हताहतों की संख्या कम हो सकती थी।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार की तत्काल आवश्यकता है।
- पी-5 की वीटो शक्ति अक्सर स्थिरता प्रदान करने के बजाय संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में बाधा डालती है।

PATRIOTIC IAS

- रवांडा नरसंहार जैसे ऐतिहासिक उदाहरण, संयुक्त राष्ट्र मिशनों की निष्क्रियता और मूकदर्शक की भूमिका के परिणामों को उजागर करते हैं।
- प्रस्तावित सुधारों में भारत और दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के लिए स्थायी सुरक्षा परिषद की सदस्यता का विस्तार करना शामिल है।
- विस्तारित पी7 परिषद विवादास्पद मुद्दों पर वीटो शक्ति के प्रयोग को सीमित कर सकती है, जिससे हस्तक्षेपों पर बहुमत से मतदान की अनुमति मिल सकेगी।
- संयुक्त राष्ट्र सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII और VIII के अंतर्गत पूर्ण परिचालन अधिकार के साथ तैनात किया जाना चाहिए।
- यदि संयुक्त राष्ट्र अपनी मौजूदा सेनाओं के साथ शांति को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर सकता है, तो उसे अपने शांति अभियानों पर पुनर्विचार करने और सक्रिय हस्तक्षेप के बजाय चर्चा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है।

PATRIOTIC IAS

# Working toward a meaningful 'victims' register' in Bastar

GS Paper III: Internal Security

On September 20, 2024, the Union Home Minister met 55 people affected by Naxalite violence from the left-wing extremism- hit areas of Chhattisgarh, as highlighted in a report in this daily, "Surrender arms and join mainstream, or face action, Amit Shah tells Naxals". The ground zero of the current phase of left-wing extremism activities, where most of the recent and successful tactical operations by security forces have been conducted, is the Bastar division of Chhattisgarh. It comprises the districts of Bastar, Narayanpur, Bijapur, Kondagaon, Sukma, Dantewada and Kanker.

**An indication of the government's approach**

The Home Minister's meeting with the victims is encouraging indeed when seen through the prism of successes of the security forces in counter-Maoist operations over the last six months or so. The initiative indicates the seriousness of the government to address the challenges in a manner that is beyond the realm of law and order. The government's declared approach to deal with left-wing extremism has been to address the challenge in a holistic manner, in the areas of security, development, ensuring the rights of local communities, and with improvements in governance and public perception management. However, the parameters of success and performance on the ground have continued to be contextualised by the security bias of the approach.

In the context of addressing the conditions of victims, it may be relevant to invoke recent public statements by the Deputy Chief Minister and Home Minister of Chhattisgarh, Vijay Sharma. In May this year, Mr. Sharma had said that the State was making efforts to bring in new features and have better implementation in maintaining the victims' register for people victimised due to violence in Bastar. An alignment in the thought processes of policymakers at the Centre and in the State bodes well for the resolution of the left-wing extremism challenge in the long run, wherein we move beyond our delusionary race to kill the last Maoist.

**Shashank Ranjan**

a retired infantry officer (colonel) with rich experience of serving in conflict zones. He teaches at the O.P. Jindal Global University, Sonepat, Haryana

Compilation of the 'register', which has been tried globally as a conflict resolution tool, would have to an exercise in the spirit of truth and reconciliation

**Categories of those affected**

However one needs to tread ahead with the policies and their implementation, with a caveat that victim identity is not a monolith in conflict zones – and Bastar is no different. Two main categories of victims among several, are, first the ones who have suffered at the hands of Maoists (and presumably these were the people who met the Home Minister). The second category of victims who cannot be ignored comprise those who have suffered at the hands of the state to include security forces and the criminal justice system; intentionally or otherwise.

Another agency that victimised the tribal community was the vigilante army called the Salwa Judum during the middle years of the first decade of this century. In this period, in addition to people who fled their villages to live in Salwa Judum camps (where they continue to live even after two decades), about 55,000 tribals fled Chhattisgarh to take shelter in then unified Andhra Pradesh. These internally displaced conflict victims yearn to return to Chhattisgarh but are yet to get redress from the respective State governments. In addition, there are numerous victims of structural violence churned up by the conflict since the 1980s, when Maoist cadres entered the forests of Dandakaranya, seeking safe haven. Dandakaranya covers an area of about 92,000 square kilometres and includes parts of Chhattisgarh, Odisha, Telangana, Andhra Pradesh and Maharashtra.

In fact the victimisation as a result of structural violence *vis-à-vis* tribal communities has been an ongoing process since colonial times and through the post-independence era. The Maoists, after entering Dandakaranya, sought to champion the tribal cause that was a manifestation of centuries of victimisation. Absent governance resulting from the policy of exclusion of tribal belts, gave tremendous elbow room to the Maoists to fill in the gap left by the state.

**Making it work**

The initiative to identify victims and register the details in the victims' register – talked about by Mr. Sharma – has tremendous potential to alleviate the plight of tribal communities who find themselves sandwiched between the Maoists and the state. The victims' register, as an experiment, has been tried in more than a dozen countries as a conflict resolution or peacebuilding effort. Such an effort played a major role in resolving the deep-rooted left-wing extremism insurgency in Colombia.

However, the exercise of identifying victims shall have to be in the spirit of truth and reconciliation and agnostic to the nature of the perpetrators who carried out victimisation. If otherwise, such a well-intentioned exercise may end up creating divides in the society, as another version of the haves versus the have-nots conflict. As far as the rules of the victims' register experiment are concerned, victims and their families need to be given a benefit of doubt when they tell their stories, as many versions cannot be cross-checked in a tangible manner. The ground rules of the exercise shall have to be based on trust. The said measure shall be an impactful confidence-building measure and is bound to expand the support base of the state against the Maoists. The time is ripe to embark on a journey to address tribal aspirations. And pitfalls in the journey may well be afforded in times of the Maoists being at their lowest.

# बस्तर में सार्थक 'पीड़ित रजिस्टर' की दिशा में कार्य (23 अक्टूबर)

- 20 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा से प्रभावित 55 व्यक्तियों से मुलाकात की।
- बैठक में वामपंथी उग्रवाद से निपटने में सरकार की गंभीरता को रेखांकित किया गया, जो महज कानून प्रवर्तन से कहीं आगे है।
- छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों का वर्तमान केंद्र है।
- सरकार के दृष्टिकोण में सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकार, शासन और सार्वजनिक धारणा प्रबंधन शामिल हैं।

- छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री के हालिया बयानों में हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए पीड़ित रजिस्टर में सुधार के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है।
- पीड़ितों की पहचान एक समान नहीं है; बस्तर जैसे संघर्ष क्षेत्रों में पीड़ितों की विभिन्न श्रेणियां हैं।
- पीड़ितों की दो मुख्य श्रेणियां हैं: वे लोग जिन्हें माओवादियों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है, तथा वे लोग जिन्हें राज्य की कार्रवाई या सुरक्षा बलों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है।
- सलवा जुडूम निगरानी समूह ने पहले भी आदिवासी समुदाय को पीड़ित किया था, जिसके कारण आंतरिक विस्थापन हुआ था।
- लगभग 55,000 आदिवासी एकीकृत आंध्र प्रदेश में पलायन कर गए और बिना किसी राहत के आंतरिक रूप से विस्थापित बने हुए हैं।
- जनजातीय समुदायों के विरुद्ध संरचनात्मक हिंसा औपनिवेशिक काल से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक जारी रही है।
- माओवादियों ने लंबे समय से चले आ रहे उत्पीड़न और शासन की कमी के जवाब में जनजातीय मुद्दों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।
- पीड़ितों की पहचान करने और उन्हें पंजीकृत करने की पहल से माओवादियों और राज्य के बीच फंसे आदिवासी समुदायों की दुर्दशा को कम करने की क्षमता है।
- पीड़ित रजिस्टरों का उपयोग विश्व स्तर पर संघर्ष समाधान प्रयासों में किया गया है, विशेष रूप से कोलंबिया में।
- पीड़ितों की पहचान सत्य और सुलह की भावना से की जानी चाहिए, अपराधियों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना।
- यह प्रक्रिया विश्वास पर आधारित होनी चाहिए, जिससे पीड़ितों की बात को तत्काल सत्यापन के बिना सुना जा सके।
- सफल कार्यान्वयन से विश्वास पैदा होगा तथा माओवादियों के विरुद्ध राज्य के समर्थन में वृद्धि होगी।
- माओवादी प्रभाव कम होते जाने के साथ ही जनजातीय आकांक्षाओं पर ध्यान देने का यह सही समय है।

PATRIOTIC IAS

PATRIOTIC IAS: Near Rajbanshi Hospital, Paidleyganj Road, Gorakhpur 9971932488

# The job crisis undermines state legitimacy

Essay

India is not producing enough good quality jobs for its people. A good quality job provides dignity, adequate compensation, an opportunity for learning, and advancement for those who strive. Instead, many jobs are unpaid, informal, and dead end. Worse, the seemingly low unemployment rate masks the fact that to count as employed, a person needs to have reported working for only one month in an entire year.

The dearth of quality employment, particularly among the youth, is a ticking time bomb that threatens not just our economy, but the very legitimacy of our state. If the government fails to create avenues for social and economic participation for young people, it will inevitably breed frustration.

**Ruchi Gupta**

Executive Director of the Future of India Foundation, which anchors an initiative to harness the political process to create aspirational employment opportunities for youth at the district level

Unemployment is not merely an economic issue but a fundamental political challenge that strikes at the heart of how we organise our societies

## A twofold problem

The political problem is twofold: how do we give people a sense of dignity and purpose, and the means for financial support? Traditionally, people have derived dignity and purpose through a combination of community, work, and political engagement. However, the package deal of liberalism and capitalism have deprioritised traditional sources of community and increased the importance of work in conferring social standing and belonging. As a result, work has become the dominant entry point into a broader sense of community and political engagement.

While the elite find purpose and status through their control over societal discourse and decision-making, which also bring them substantial financial rewards, large sections of our population feel they lack both dignity and financial security. This disparity is likely to worsen as technological advancements and capital concentration potentially displace large numbers of workers, perhaps permanently. In a large democracy such as India, such concentration of purpose and financial gain among the elites can erode faith in the system and lead to political instability.

This challenge – how we structure our society, what we value, and how we include everyone – is fundamentally political. Yet, the political response has been inadequate, oscillating between deferring to market forces and resorting to short-term partisanship. The market-oriented approach is reflected in the superficial mantra of 'creative destruction,' suggesting that old jobs and industries will be seamlessly replaced by new and better ones. Meanwhile, some politicians and capitalists have mooted universal basic income (UBI) as a solution. UBI is a minimum "income" received by all citizens of a given population as financial transfers from the government without having to work.

Setting aside the question of UBI's financial feasibility, it is important to recognise that inequality and an assault on human dignity are inherent in the very concept. UBI implies that a significant portion of the population is no longer needed in the economy, with a smaller subset "paying" for the rest. Its very premise concedes that technology and capital will create outsized winners while the majority will merely survive on their largesse. This approach fails to address people's need to feel relevant and capable, and ignores the loss of dignity that comes from not contributing meaningfully to society. It does not, thus, account for the possibility that UBI might encourage more anger and populism because people want to contribute and thrive, not just survive on the sidelines.

There is a risk to democracy as a whole as well. UBI would shift focus from structural reforms to mere economic transfers and thus entrench elite power by insulating them from pressures to address fundamental inequities in the economy and labour markets. It risks recasting the state as a mere distributor of funds rather than the architect and arbitrator of societal processes required to create a just and participatory social and economic system.

## Addressing structural issues

The partisan response has been to lob the issue between parties for short-term electoral gains instead of responding to the ongoing structural transformation of our society. Some political leaders are mindful of the long term, but institutionally, parties have become too narrow in their scope to address larger questions such as unemployment and have reduced their ambitions to winning elections alone. However, divesting societal issues to civil society or government in order to function solely as election-winning machines jeopardises their long-term legitimacy. This is because democracy is about more than elections – it is about creating a social contract that works for everyone.

In fact, the failure to anticipate and address long-term structural issues is a key reason why people feel neglected by the political class and view politics as a cynical game. When people believe the political system is incapable of addressing pressing challenges, they lose faith in democratic institutions. Thus parties and institutions must find ways to address structural issues, including unemployment, inequality, and dignity; else, people will seek alternatives, rendering political parties irrelevant. We are witnessing this globally through the rise of populism, authoritarianism, and civic disengagement.

Political parties must provide meaningful leadership by addressing structural issues head-on without resorting to deflection or partisanship. The future of Indian democracy – and the continued relevance of our political institutions – hinges on our ability to restore a broader sense of public purpose and economic participation to the centre of our national dialogue.

# नौकरी का संकट राज्य की वैधता को कमजोर करता है (23 अक्टूबर)

- भारत पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण नौकरियाँ पैदा नहीं कर रहा है, जो सम्मान, पर्याप्त पारिश्रमिक तथा सीखने और उन्नति के अवसर प्रदान करती हों।
- कई नौकरियाँ अवैतनिक, अनौपचारिक या अंतहीन हैं, तथा कम बेरोजगारी दर नौकरी की गुणवत्ता की वास्तविकता को छुपा देती है।
- गुणवत्तापूर्ण रोजगार की कमी, विशेषकर युवाओं के बीच, अर्थव्यवस्था और राज्य की वैधता के लिए खतरा पैदा करती है।
- यदि सरकार सामाजिक और आर्थिक भागीदारी के अवसर पैदा करने में विफल रहती है, तो इससे व्यापक निराशा पैदा होगी।
- राजनीतिक चुनौती दोहरी है: लोगों को सम्मान और उद्देश्य प्रदान करना, तथा साथ ही वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- परंपरागत रूप से, गरिमा और उद्देश्य समुदाय, कार्य और राजनीतिक भागीदारी से प्राप्त होते थे।
- उदारवाद और पूंजीवाद ने पारंपरिक सामुदायिक स्रोतों को कम कर दिया है, जिससे काम सामाजिक प्रतिष्ठा का प्राथमिक साधन बन गया है।
- अभिजात वर्ग सामाजिक संवाद पर नियंत्रण के माध्यम से उद्देश्य और स्थिति प्राप्त करता है, जबकि कई लोग सम्मान और वित्तीय सुरक्षा की कमी महसूस करते हैं।
- तकनीकी प्रगति और पूंजी संकेन्द्रण के कारण श्रमिकों के विस्थापन के कारण यह असमानता और भी बढ़ सकती है।
- अभिजात वर्ग के बीच इस तरह का संकेन्द्रण व्यवस्था में विश्वास को खत्म कर सकता है तथा राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे सकता है।
- समाज की संरचना और सभी को शामिल करने की चुनौती मूलतः राजनीतिक है, फिर भी इस दिशा में प्रतिक्रिया अपर्याप्त रही है।
- वर्तमान राजनीतिक प्रतिक्रियाएं बाजार की ताकतों के आगे झुकने और अल्पकालिक पक्षपात में संलग्न होने के बीच झूलती रहती हैं।
- बाजार-उन्मुख दृष्टिकोण यह सुझाता है कि नौकरियां सहज रूप से नई नौकरियों से प्रतिस्थापित हो जाएंगी, जो कि अत्यधिक सरलीकरण है।
- कुछ लोग समाधान के रूप में सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) का प्रस्ताव रखते हैं, जो नागरिकों को बिना काम किए वित्तीय हस्तांतरण प्रदान करती है।
- यूबीआई की वित्तीय व्यवहार्यता पर सवाल उठाया गया है, और यह स्वाभाविक रूप से यह सुझाव देता है कि आबादी का एक हिस्सा अर्थव्यवस्था में अनावश्यक है।
- यह मॉडल मानवीय गरिमा को कमजोर कर सकता है तथा प्रासंगिकता और योगदान की आवश्यकता को पूरा करने में विफल हो सकता है।

PATRIOTIC IAS

- यूबीआई से क्रोध और लोकप्रियता को बढ़ावा मिलने का खतरा है, क्योंकि लोग केवल जीवित रहने की बजाय समृद्ध होने की इच्छा रखते हैं।
- इससे संरचनात्मक सुधारों से ध्यान हटाकर आर्थिक हस्तांतरण पर केन्द्रित किया जा सकता है, जिससे अभिजात वर्ग की शक्ति मजबूत होगी तथा राज्य की भूमिका कम होगी।
- राजनीतिक दल अदूरदर्शी रहे हैं और बेरोजगारी और असमानता को दूर करने के बजाय चुनावी लाभ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- सामाजिक मुद्दों को नागरिक समाज के हाथों में सौंपने से पार्टियों की दीर्घकालिक वैधता और लोकतंत्र का सामाजिक अनुबंध खतरे में पड़ जाता है।
- दीर्घकालिक संरचनात्मक मुद्दों की उपेक्षा करने से राजनीतिक वर्ग के प्रति जनता में निराशा पैदा होती है।
- लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास की कमी, कथित राजनीतिक अप्रभावशीलता का परिणाम हो सकती है।
- प्रासंगिक बने रहने के लिए पार्टियों को बेरोजगारी, असमानता और सम्मान जैसे संरचनात्मक मुद्दों पर ध्यान देना होगा।
- वैश्विक स्तर पर, इन विफलताओं की प्रतिक्रिया के रूप में लोकलुभावनवाद, अधिनायकवाद और नागरिक अलगाव में वृद्धि हो रही है।
- राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय संवाद के मूल में सार्वजनिक उद्देश्य और आर्थिक भागीदारी को बहाल करने के लिए सार्थक नेतृत्व प्रदान करना होगा।

PATRIOTIC IAS

PATRIOTIC IAS: Near Rajbanshi Hospital, Paidleyganj Road, Gorakhpur 9971932488

# On Section 6A of the Citizenship Act

What does the contentious provision state? What does the Assam Accord signed in 1985 stipulate? Why are there different cut-off dates for citizenship in Assam? What are the court's findings? What are the potential implications?

GS Paper I: Citizenship

EXPLAINER

Aaratrika Bhaumik

**The story so far:**

In a landmark ruling, a Constitution Bench of the Supreme Court on October 18 upheld the constitutional validity of Section 6A of the Citizenship Act, 1955 (1955 Act) which laid out an exclusive regime for migrants in Assam from erstwhile East Pakistan (present Bangladesh) to obtain Indian citizenship as long as they entered India before March 25, 1971. The decision was rendered by a 4:1 majority. Justice Surya Kant authored the lead majority opinion on behalf of himself, CJI D.Y. Chandrachud, Justices M. M. Sundresh, and Manoj Misra, while Justice Pardiwala delivered the lone dissenting opinion.

**What does Section 6A stipulate?**

Section 6A originates from the "Assam Accord", a political settlement signed on August 15, 1985, between the Rajiv Gandhi-led Congress government and Assam's student groups, following a six-year-long agitation against the influx of undocumented migrants from Bangladesh into Assam. It established a framework for granting or denying Indian citizenship to migrants in Assam based on a cut-off date – March 25, 1971. The date marked the onset of the genocide in East Pakistan, leading to the Bangladesh Liberation War and the eventual creation of Bangladesh. The conflict drove millions of Bengalis to flee East Pakistan and seek refuge in Assam, which shares a 263-km border with Bangladesh. Accordingly, all those who entered the State after March 25, 1971, would be treated as foreigners and deported in accordance with law.

The provision also conferred Indian citizenship upon migrants of "Indian origin" who entered Assam before January 1, 1966, and had been "ordinarily resident" in the State since then. Meanwhile, those who arrived between January 1, 1966, and March 24, 1971, were granted the full rights of Indian citizens, except for voting rights, which were withheld for a decade.

**Why was it challenged?**

The petitioners, including the NGO Assam Public Works and the Assam Sanmilita Mahasangha, contended that setting a different cut-off date for citizenship in Assam is discriminatory and violates the right to equality enshrined in Article 14 of the Constitution. Concerns were also raised about the provision's inconsistency with Articles 6 and 7, which regulate citizenship pertaining to Partition-era migration for the rest of the country. Article 6 grants citizenship to individuals who migrated to India from Pakistan before July 19, 1948, provided they have resided in the country since then. Meanwhile, Article 7 denies citizenship to those who moved to Pakistan after March 1, 1947, while allowing it for those who returned to India under a permit for resettlement or permanent return.

They also claimed the provision resulted in a "perceptible change in the demographic pattern of the State," thereby violating the cultural and linguistic rights of the "indigenous" population of Assam, as guaranteed under Article 29. This, they argued, constituted both "external aggression" and "internal disturbance" under Article 355 of the Constitution, thereby imposing an obligation upon the Union government to protect the State.

**What did the majority rule?**

Both Justices Kant and Chandrachud upheld the differentiated treatment of Assam under Section 6A, citing the region's unique historical and political considerations. They reasoned that the provision does not violate the equality clause under Article 14, as it represents Parliament's careful balancing act between its humanitarian approach toward Bangladeshi immigrants and the significant strain their mass exodus has imposed on Assam's economic and cultural resources.

The majority also opined that Section 6A is not inconsistent with the citizenship provisions in Articles 6 and 7 of the Constitution. The Chief Justice pointed out that while these Articles establish a cut-off date for conferring citizenship at the commencement of the Constitution– January 26, 1950 – Section 6A specifically addresses individuals not covered by these two provisions. Justice Kant concurred, asserting that Section 6A aligns with the constitutional philosophy of Articles 6 and 7, as it is rooted in the "same underlying policy of granting citizenship to the people of Indian origin migrating from Pakistan due to political disturbances in a foreign territory". Both judges also concluded that Article 11 of the Constitution grants Parliament substantial flexibility in formulating laws related to citizenship, including the authority to establish conditions for granting citizenship that may differ from those outlined in Articles 6 and 7.

Adopting a multicultural and pluralistic interpretation of Article 29, the judges further observed that Section 6A does not violate the cultural rights of the "indigenous" Assamese people. They reasoned that while the Article aims to "conserve" the culture of a specific group, it does not preclude the coexistence of other cultures. In fact, Justice Kant highlighted that such grievances may stem from the failure of authorities to implement the other leg of Section 6A – specifically, the deportation of individuals who migrated to Assam after the cut-off date. He accordingly urged the Chief Justice to constitute a Bench to monitor the identification, detection and deportation of illegal immigrants in the State in a time-bound manner.

Both the judges also noted that "external aggression" referred to military actions and did not cover within its ambit humanitarian migration driven by economic or other distress. Accordingly, they found no breach of the Union's duty under Article 355. The Chief Justice further cautioned that allowing the Union to exercise such "emergency powers" would be detrimental to federalism and could undermine the constitutional status of States.

**Why did Justice Pardiwala dissent?**

In a sharply reasoned dissent, Justice Pardiwala declared Section 6A unconstitutional, effective only from the date of the judgment. He reasoned that while the provision may have been justifiable at the time of its enactment, its failure to curb illegal migration in Assam had rendered it inconsistent with constitutional principles over time. He also noted that the lack of a sunset clause on the application of Section 6A incentivises illegal immigration and exacerbates demographic imbalances in the region.

The judge further highlighted that Section 6A does not allow for self-declaration or voluntary identification as a foreigner thereby leaving the detection process entirely reliant on state intervention. He concluded that this marked a clear departure from the scheme of the Citizenship Act and Articles 6 and 7 of the Constitution, which allow citizenship to be acquired through registration.

"The manner in which the provision is worded, counter-serves the very purpose of its enactment, which is the speedy and effective identification of foreigners of the 1966-71 stream, their deletion from the electoral rolls, registration with the registering authority and conferring of regular citizenship", the dissent noted.

**What are the potential ramifications?**

The March 25, 1971, cut-off date endorsed by the majority serves as the foundation for the contentious National Register of Citizens which was prepared in 2019 following the top court's directives. Although the register is yet to be implemented, it has identified 19 lakh residents (5.77% of Assam's population) as potential non-citizens. Moreover, the ruling bolsters the long-standing demand of Assamese organisations to repeal the controversial Citizenship Amendment Act, 2019 (CAA), which sets December 31, 2014, as the cut-off date for granting citizenship to non-Muslim migrants who illegally entered India from Bangladesh, Afghanistan, and Pakistan. Critics argue that by prescribing a different timeline, the CAA creates a loophole that exempts Bengali Hindus who migrated to Assam from Bangladesh after 1971 from the application of Section 6A.

**Final word:** Members of the All Assam Students' Union light lamps to celebrate the verdict on Section 6A of the Citizenship Act, in Guwahati, on October 18. PTI

## THE GIST

- Section 6A originates from the "Assam Accord", a political settlement signed on August 15, 1985, between the Rajiv Gandhi-led Congress government and Assam's student groups, following a six-year-long agitation against the influx of undocumented migrants from Bangladesh into Assam. It established a framework for granting or denying Indian citizenship to migrants in Assam based on a cut-off date — March 25, 1971.
- Both Justices Kant and Chandrachud upheld the differentiated treatment of Assam under Section 6A, citing the region's unique historical and political considerations.
- In a sharply reasoned dissent, Justice Pardiwala declared Section 6A unconstitutional, effective only from the date of the judgment.

# नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए पर ( 23 अक्टूबर)

## विवादास्पद प्रावधान क्या कहता है? 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौते में क्या प्रावधान है? असम में नागरिकता के लिए अलग-अलग कट-ऑफ तिथियां क्यों हैं? न्यायालय के निष्कर्ष क्या हैं? इसके संभावित निहितार्थ क्या हैं?

- 18 अक्टूबर, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
- यह फैसला 4:1 के बहुमत से पारित किया गया, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बहुमत की राय लिखी।
- धारा 6ए, पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आये प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देती है, बशर्ते वे 25 मार्च, 1971 से पहले भारत में प्रवेश कर गए हों।
- यह प्रावधान 15 अगस्त 1985 को असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ छह साल के आंदोलन के बाद हस्ताक्षरित "असम समझौते" पर आधारित है।
- 25 मार्च 1971 की कट-ऑफ तिथि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की शुरुआत से मेल खाती है, जिसके कारण कई लोग असम की ओर पलायन करने को मजबूर हुए।
- निर्धारित तिथि के बाद असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को विदेशी माना जाता है तथा उन्हें निर्वासित किया जाता है।
- यह प्रावधान "भारतीय मूल" के उन प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है जो 1 जनवरी, 1966 से पहले असम में प्रवेश कर चुके हैं और तब से यहां के निवासी हैं।
- 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच आने वालों को एक दशक तक मताधिकार को छोड़कर सभी अधिकार प्राप्त होंगे।
- याचिकाकर्ताओं ने भेदभाव के आधार पर धारा 6ए को चुनौती दी और तर्क दिया कि यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
- विभाजनकालीन प्रवासन नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 6 और 7 के साथ इसकी असंगतता के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं।
- याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह प्रावधान जनसांख्यिकीय स्वरूप में परिवर्तन करता है तथा अनुच्छेद 29 के तहत सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- उन्होंने तर्क दिया कि यह अनुच्छेद 355 के तहत "बाह्य आक्रमण" और "आंतरिक अशांति" का मामला है, जिसके लिए संघीय संरक्षण आवश्यक है।
- बहुमत ने फैसला सुनाया कि धारा 6ए का विभेदकारी व्यवहार असम के विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ के अनुसार उचित है।

PATRIOTIC IAS

- न्यायमूर्ति कांत और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि धारा 6ए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है तथा संसद के मानवीय दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है।
- उन्होंने कहा कि धारा 6ए अनुच्छेद 6 और 7 के अनुरूप है तथा उन प्रावधानों के अंतर्गत न आने वाले व्यक्तियों के लिए है।
- न्यायाधीशों ने अनुच्छेद 11 के तहत संसद के अधिकार पर जोर दिया कि वह अनुच्छेद 6 और 7 से भिन्न नागरिकता कानून बना सकता है।
- उन्होंने अनुच्छेद 29 की व्याख्या संस्कृतियों के सह-अस्तित्व की अनुमति देने के रूप में की, तथा कहा कि धारा 6ए स्वदेशी अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है।
- न्यायमूर्ति कांत ने असम में अवैध आप्रवासियों की पहचान और निर्वासन की निगरानी का आग्रह किया।
- बहुमत ने निष्कर्ष निकाला कि "बाह्य आक्रमण" का तात्पर्य सैन्य कार्रवाइयों से है, न कि मानवीय प्रवास से।
- मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने संघ को "आपातकालीन शक्तियों" का दुरुपयोग करने और संघवाद को कमजोर करने की अनुमति देने के खिलाफ चेतावनी दी।
- न्यायमूर्ति पारदीवाला ने असहमति जताते हुए धारा 6ए को असंवैधानिक घोषित कर दिया तथा कहा कि यह अवैध प्रवासन को रोकने में विफल है तथा इसमें सूर्यास्त खंड का अभाव है।
- उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह प्रावधान विदेशी के रूप में स्व-घोषणा की अनुमति नहीं देता है, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो जाती है।
- पारदीवाला ने तर्क दिया कि धारा 6ए, विदेशियों की शीघ्र पहचान करने के नागरिकता अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत है।
- 25 मार्च, 1971 की कट-ऑफ तिथि का निर्णय, 2019 में तैयार किए गए विवादास्पद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का आधार है।
- रजिस्टर में 19 लाख निवासियों की पहचान संभावित गैर-नागरिकों के रूप में की गई है, जो असम की 5.77% आबादी को प्रभावित करता है।
- यह निर्णय नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए) को निरस्त करने की मांग का समर्थन करता है, जिसमें 31 दिसंबर, 2014 की एक अलग कट-ऑफ तिथि निर्धारित की गई है।
- आलोचकों का तर्क है कि सीएए 1971 के बाद पलायन करने वाले बंगाली हिंदुओं को धारा 6ए के प्रावधानों से छूट देने का रास्ता बनाता है।

PATRIOTIC IAS

## अनुच्छेद 355

**अनुच्छेद 355** में कहा गया है कि "प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना तथा यह सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चले।"

**ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उद्देश्य**

- अनुच्छेद 355 का प्राथमिक उद्देश्य केंद्र सरकार को आवश्यक होने पर राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देकर भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना है।
- इस प्रावधान की जड़ें भारत सरकार अधिनियम, 1935 में हैं, जिसने ब्रिटिश क्राउन को आपातकाल के दौरान प्रांतों की सुरक्षा करने की शक्ति प्रदान की थी।
- अनुच्छेद 355 को भारत के संघीय ढांचे के अनुरूप बनाया गया था, जहां यदि कोई राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ हो तो केंद्र उसकी जिम्मेदारी लेता है।

**सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार**

**अनुच्छेद 29**

(1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में निवास करने वाले नागरिकों के किसी वर्ग को, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित रखने का अधिकार होगा।

(2) किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शैक्षणिक संस्था में **केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा** ।

## स्पष्टीकरण

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29** नागरिकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों पर केंद्रित है।
- यह अनुच्छेद संविधान के **भाग III: मौलिक अधिकारों के** अंतर्गत **धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है।**

**ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महत्व:**

- भारत की सांस्कृतिक विविधता, इसकी अनेक भाषाएं, लिपियां, धर्म और संस्कृतियां अनुच्छेद 29 का आधार बनती हैं। इसका उद्देश्य इस विविधता की रक्षा और संरक्षण करना है।
- संविधान के प्रारूपण के दौरान संविधान सभा की बहसों में यह माना गया कि एक राष्ट्र के रूप में भारत का चरित्र गहन बहुलवादी है, तथा अल्पसंख्यकों की संस्कृति के संरक्षण के लिए उनके अधिकारों को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है।

PATRIOTIC IAS

- इस अनुच्छेद का उद्देश्य विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा है, लेकिन इसकी शब्दावली ऐसी है कि यह भारत के सभी नागरिकों को कवर करती है। किसी भी समूह या नागरिकों के वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है।

**प्रमुख प्रावधान:**

1. **संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण का अधिकार:**
   - **अनुच्छेद 29(1)** यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों का कोई भी समूह जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित और बढ़ावा दे सकता है।
   - इसमें न केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है, बल्कि किसी भी ऐसे समूह को शामिल किया गया है जिसकी अपनी अलग संस्कृति या भाषा है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक (तुलु भाषी) या असम (बोडो भाषी) जैसे राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित रख सकते हैं।
2. **शिक्षा में भेदभाव से सुरक्षा:**
   - **अनुच्छेद 29(2)** सरकार द्वारा वित्त पोषित या संचालित शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
   - किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। इससे **समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित होते हैं** , खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के लिए, जिन्हें अन्यथा बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है।

**कानूनी व्याख्याएं और न्यायिक टिप्पणियां:**

- **भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने** अनुच्छेद 29 से संबंधित कई मामलों पर निर्णय देकर इसके दायरे को सुदृढ़ किया है:
  - **सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992)** के मामले में , न्यायालय ने माना कि अल्पसंख्यक संस्थानों को उनके सांस्कृतिक मूल्यों के विरुद्ध छात्रों को प्रवेश देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें केवल धर्म या जाति के आधार पर प्रवेश देने से इनकार भी नहीं करना चाहिए।
  - केरल **शिक्षा विधेयक मामले (1957) में** इस बात पर जोर दिया गया कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें अनुच्छेद 29(2) जैसे संवैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा।

**हालिया घटनाक्रम और आंकड़े:**

- **शिक्षा मंत्रालय** ( भारत सरकार) ने समावेशी शिक्षा के लिए नीतियों को सुदृढ़ किया है, जैसे **समग्र शिक्षा अभियान** , ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भाषाई अल्पसंख्यकों सहित हाशिए के समूहों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो।
- 2020 में, **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) ने** क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और भाषाई विविधता को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। एनईपी अनुच्छेद 29 की भावना के अनुरूप प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।
- जनगणना **2011 में** भारत में 19,500 से अधिक विशिष्ट भाषाएँ या बोलियाँ दर्ज की गईं, जिससे अनुच्छेद 29 के तहत भाषाई विविधता की सुरक्षा और संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

**राज्यों में सांस्कृतिक संरक्षण:**

- **केरल मलयाली समुदाय** और **तुलु भाषी** जैसे भाषाई अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सक्रिय रहा है ।
- **तमिलनाडु ने तमिल भाषा** , जो भारत की एक शास्त्रीय भाषा है, के संरक्षण के लिए एक समृद्ध भाषाई नीति विकसित की है ।

PATRIOTIC IAS

- **उत्तर प्रदेश ने अवधी** और **भोजपुरी भाषाओं को** बढ़ावा देने के लिए पहल की है , और राज्य में **सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान** अनुच्छेद 29(2) के मानदंडों का पालन करते हैं, जिससे धार्मिक या भाषाई पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित होती है।

**अनुच्छेद 30**

(1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा।
[(1क) खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली कोई विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित राशि ऐसी हो जो उस खंड के अधीन गारंटीकृत अधिकार को निर्बंधित या निरस्त न करे।]
(2) राज्य, शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करते समय, किसी शैक्षणिक संस्था के विरुद्ध इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह अल्पसंख्यक धर्म या भाषा पर आधारित हो।

## स्पष्टीकरण:

**अनुच्छेद 30** अल्पसंख्यकों (धार्मिक और भाषाई दोनों) को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने के अधिकारों की रक्षा करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि भारत में अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक, भाषाई और शैक्षिक स्वायत्तता सुरक्षित रहे।

**खंड (1):**

यह खंड अल्पसंख्यकों (धर्म या भाषा के आधार पर) को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए, मुस्लिम, ईसाई और सिख अल्पसंख्यक अपने समुदायों की विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते हैं। ये संस्थान अल्पसंख्यकों की विशिष्ट पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

**खंड (1ए):**

यह खंड राज्य द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण के संबंध में अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया था। यह इस बात पर जोर देता है कि यदि सरकार को किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करना है, तो मुआवजे की राशि उचित और न्यायसंगत होनी चाहिए। अधिग्रहण प्रक्रिया को अल्पसंख्यक संस्थान के अपने मामलों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने के अधिकार को कमजोर नहीं करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी शैक्षणिक स्वायत्तता का सम्मान किया जाए।

**खंड (2):**

PATRIOTIC IAS

यह खंड सरकार को वित्तीय सहायता देते समय अल्पसंख्यक-प्रबंधित शैक्षणिक संस्थानों के साथ भेदभाव करने से रोकता है। चाहे कोई संस्थान हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या किसी अन्य अल्पसंख्यक समूह द्वारा चलाया जाता हो, राज्य धार्मिक या भाषाई प्रबंधन के आधार पर धन देने से इनकार नहीं कर सकता। यह प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए समान अवसर और सहायता सुनिश्चित करता है।

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि** : अनुच्छेद 30 की जड़ें संविधान सभा की बहसों में निहित हैं, जहाँ सदस्यों ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की थी। इस प्रावधान को भारत की विविधता को बनाए रखने और अल्पसंख्यक समुदायों को हाशिए पर जाने से बचाने के लिए आवश्यक माना गया था।
- **मुख्य निर्णय** :
  - ***टीएमए पई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002)*** **:** सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 30 के दायरे को स्पष्ट करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है और ये संस्थान सरकारी सहायता ले सकते हैं।
  - ***प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2014)*** **:** न्यायालय ने फैसला दिया कि अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है, तथा प्रवेश और पाठ्यक्रम के प्रबंधन के उनके अधिकार की पुष्टि की गई।
- **नव गतिविधि** :
  - राष्ट्रीय **अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) को** सौंपा गया है। एनसीएमईआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित कई संस्थानों ने राज्य सहायता प्राप्त करते हुए सफलतापूर्वक स्वायत्तता बनाए रखी है, जिससे भारत की शिक्षा प्रणाली में विविधता सुनिश्चित हुई है।
- **आंकड़े और तथ्य** :
  - **अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय** के अनुसार , भारत में 27,000 से अधिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान (स्कूल और कॉलेज सहित) हैं।
  - **केरल** , **तमिलनाडु** और **उत्तर प्रदेश** जैसे राज्यों में अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों की संख्या काफी अधिक है।

PATRIOTIC IAS

PATRIOTIC IAS: Near Rajbanshi Hospital, Paidleyganj Road, Gorakhpur 9971932488

**Green energy:** The Three Mile Island Nuclear power plant is seen at sunrise in Middletown, Pennsylvania, U.S., on October 16. REUTERS

# Why are Big Tech companies such as Google scouting for nuclear power?

Training AI models, ensuring that they remain always online and maintaining growing data centres are energy-hungry tasks. Google has held that nuclear energy is clean, available round-the-clock, and carbon-free. However, is green energy 'truly' clean?

GS Paper III: S&T

Sahana Venugopal

**The story so far:**

On October 14, Google announced the "first corporate agreement" to buy nuclear energy from multiple Small Modular Reactors (SMR). These SMRs will be developed by Kairos Power. The initial phase of the work will bring up the first SMR by 2030, and subsequent deployments will continue through 2035. Per Google, this deal will provide 500 MW of carbon-free power to the U.S. electricity grid. They said this agreement will help in the development of AI technologies to power scientific advances.

**Why nuclear energy?**

Training AI models, ensuring that they remain always online, and maintaining growing data centres are energy-hungry tasks. In a 2024 Environmental Report, Google admitted that its total global greenhouse gas emissions rose by 13% in 2023 year-over-year, pointing to the "challenge of reducing emissions while compute intensity increases and we grow our technical infrastructure investment to support this AI transition." Google has held that nuclear energy is clean, available round-the-clock (unlike solar energy), and carbon-free. In that vein, the search giant sees the next generation nuclear reactors as a way to power global data centres and its offices with the help of clean energy. Smaller sizes and modular designs further help the tech giant in faster deployment cycles.

**Which companies are partnering with nuclear reactor makers?**

On September 20, Microsoft and Constellation signed a 20-year power purchase agreement intended to launch the Crane Clean Energy Center (CCEC) and restart the Three Mile Island Unit 1. The deal should add around 835 MW of carbon-free energy to the grid, according to Constellation's statement. "This agreement is a major milestone in Microsoft's efforts to help decarbonise the grid in support of our commitment to become carbon negative," said Bobby Hollis, Microsoft's VP of Energy, at the time. Amazon also announced that it signed three new agreements to support nuclear energy projects, such as the construction of SMRs. In Washington, it partnered with Energy Northwest. It is further making an investment in SMR reactors and fuel developer X-energy, and partnering with Dominion Energy in Virginia. "We also previously signed an agreement to co-locate a data centre facility next to the Talen Energy's nuclear facility in Pennsylvania, which will directly power our data centres with carbon-free energy, and helps preserve this existing reactor," Amazon said in a blog post.

OpenAI CEO Sam Altman backed the nuclear startup Oklo, which aims to build a commercial microreactor in Idaho and have it operational in 2027, though delays could affect this, reported *CNBC*. Mr. Altman also invested in the nuclear fusion company Helion in 2021.

**Is nuclear energy truly clean?**

This is still a matter of debate. The main takeaway is that nuclear energy has a serious reputation problem, due to public memory of past accidents and crises that span generations.

For example, Ukraine's Chernobyl explosion (1986) and Japan's Fukushima accident (2011) resulted in extensive environmental destruction that lasted for years, even as the impact on human health is still being researched. While Chernobyl is a case study on multiple human errors and a communication breakdown, Fukushima demonstrates how natural disasters beyond human control – such as a tsunami – can lead to devastating nuclear accidents.

Separately, in the U.S., the Three Mile Island accident of 1979 in Unit 2 of the facility's nuclear generating station involved the combination of a malfunctioning valve and human error, resulting in the core overheating and releasing radioactive gases. While not considered overly dangerous to the surrounding population, it is regarded as one of the worst industrial nuclear accidents in U.S. history. Microsoft's deal with Constellation aims to start Unit 1 again; Unit 2 was decommissioned after the accident.

Many environmental groups are actively protesting nuclear energy and the way it is being presented as "clean". 'Friends of the Earth,' an international network of organisations, said on its website in 2018, "Since it was first commercialised, nuclear power has proven to be one of the dirtiest, most dangerous and most expensive sources of energy. Nuclear reactors have a long history of accidents, leaks, extended outages and skyrocketing costs." The organisation also pointed out the dangers of nuclear infrastructure being built over earthquake-prone areas.

But there is hope in SMRs as they have potentially lower building and operational costs. A U.S. Department of Energy report noted that SMRs have compact designs and can function in areas unable to withstand larger or older nuclear power plants that require huge volumes of water.

**What is the U.S. government's stance on nuclear energy?**

Apart from seeing nuclear power as one source of clean energy, the U.S. Department of Energy's Office of Nuclear Energy highlighted the importance of re-establishing the U.S. as a nuclear leader, to stay ahead of China and Russia.

Dr. Rita Baranwal, Assistant Secretary for Nuclear Energy, noted, "As the use of nuclear energy continues to expand internationally, it is crucial that the United States reasserts itself as a leader in this incredible technology. Existing U.S. nuclear plants prevent almost 500 million metric tons of carbon dioxide emissions each year – the equivalent of taking 100 million cars off the roads."

# गूगल जैसी बड़ी टेक कम्पनियां परमाणु ऊर्जा की खोज क्यों कर रही हैं? (23 अक्टूबर)

**एआई मॉडल को प्रशिक्षित करना, यह सुनिश्चित करना कि वे हमेशा ऑनलाइन रहें और बढ़ते डेटा केंद्रों को बनाए रखना ऊर्जा-भूखे कार्य हैं। Google ने माना है कि परमाणु ऊर्जा स्वच्छ है, चौबीसों घंटे उपलब्ध है, और कार्बन-मुक्त है। हालाँकि, क्या हरित ऊर्जा 'वास्तव में' स्वच्छ है?**

- 14 अक्टूबर को, गूगल ने कैरोस पावर द्वारा विकसित कई छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) से परमाणु ऊर्जा खरीदने के लिए अपने पहले कॉर्पोरेट समझौते की घोषणा की।
- प्रारंभिक चरण का लक्ष्य 2030 तक पहला एसएमआर ऑनलाइन लाना है, तथा 2035 तक आगे की तैनाती जारी रहेगी।
- यह सौदा अमेरिकी बिजली ग्रिड को 500 मेगावाट कार्बन मुक्त बिजली प्रदान करेगा और एआई प्रौद्योगिकी विकास को समर्थन देगा।
- परमाणु ऊर्जा को डेटा केंद्रों को ऊर्जा प्रदान करने तथा ऑनलाइन परिचालन को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इन कार्यों के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- गूगल ने बढ़ती कंप्यूटिंग तीव्रता के बीच उत्सर्जन को कम करने में चुनौतियों का हवाला देते हुए 2023 में वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 13% की वृद्धि की सूचना दी।
- कंपनी परमाणु ऊर्जा को सौर ऊर्जा के विपरीत स्वच्छ, 24x7 उपलब्ध तथा कार्बन मुक्त मानती है, तथा छोटे, मॉड्यूलर डिजाइनों के तीव्र क्रियान्वयन की सराहना करती है।
- 20 सितंबर को, माइक्रोसॉफ्ट और कांस्टेलेशन ने क्रेन क्लीन एनर्जी सेंटर को लॉन्च करने और थ्री माइल आइलैंड यूनिट 1 को पुनः प्रारंभ करने के लिए 20-वर्षीय बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- इस समझौते से ग्रिड में लगभग 835 मेगावाट कार्बन-मुक्त ऊर्जा जुड़ने की उम्मीद है।
- माइक्रोसॉफ्ट का लक्ष्य कार्बन-नकारात्मक बनना है, तथा ऊर्जा समझौते को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।
- अमेज़न ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए तीन नए समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें एनर्जी नॉर्थवेस्ट के साथ साझेदारी और एक्स-एनर्जी जैसे एसएमआर डेवलपर्स में निवेश शामिल है।
- अमेज़न अपने परिचालन को कार्बन-मुक्त ऊर्जा से संचालित करने के लिए पेंसिल्वेनिया में टैलेन एनर्जी के परमाणु संयंत्र के बगल में एक डाटा सेंटर स्थापित करेगा।

PATRIOTIC IAS

- ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन परमाणु स्टार्टअप ओक्लो का समर्थन करते हैं , जो 2027 तक इडाहो में एक वाणिज्यिक माइक्रोरिएक्टर बनाने की योजना बना रहा है, और उसने फ्यूजन कंपनी हेलियन में निवेश किया है।
- परमाणु ऊर्जा की स्वच्छता पर बहस जारी है, तथा ऐतिहासिक दुर्घटनाओं ने जनधारणा को प्रभावित किया है।
- उल्लेखनीय घटनाओं में चेर्नोबिल आपदा (1986) और फुकुशिमा दुर्घटना (2011) शामिल हैं, जिनके कारण दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उत्पन्न हुईं।
- थ्री माइल आइलैंड दुर्घटना (1979) मानवीय भूल और खराबी के कारण हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप रेडियोधर्मी गैसें निकलीं, लेकिन इसे अत्यधिक खतरनाक नहीं माना गया।
- 'फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ' जैसे पर्यावरण समूह दुर्घटनाओं और रिसाव के इतिहास का हवाला देते हुए परमाणु ऊर्जा को खतरनाक और महंगा बताते हैं।
- उन्होंने भूकंप संभावित क्षेत्रों में परमाणु अवसंरचना के निर्माण के विरुद्ध चेतावनी दी है।
- छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) कम निर्माण और परिचालन लागत प्रदान कर सकते हैं, तथा इनका कॉम्पैक्ट डिजाइन उन स्थानों के लिए उपयुक्त होता है जहां बड़े संयंत्रों को समायोजित नहीं किया जा सकता।
- अमेरिकी सरकार परमाणु ऊर्जा को एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में देखती है और उसका लक्ष्य चीन और रूस से प्रतिस्पर्धा के बीच परमाणु प्रौद्योगिकी में खुद को अग्रणी के रूप में पुनः स्थापित करना है।
- ऊर्जा विभाग मौजूदा अमेरिकी परमाणु संयंत्रों के महत्व पर जोर देता है, जो लगभग 500 मिलियन मीट्रिक टन बिजली की बचत करते हैं।

PATRIOTIC IAS